न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/18 सन् 2018
आरसीएमएस संख्या 2017/00227

बउनवानीः–

1. घीस्या पुत्र श्री राज्या मीना निवासी डेहकवा तहसील सवाईमाधोपुर
2. किशन गोपाल पुत्र श्री राज्या मीना निवासी डेहकवा तहसील सवाईमाधोपुर
3. दयाचन्द पुत्र श्री राज्या मीना निवासी डेहकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 654 निर्णय दिनांक 11.10.1977 वाके ग्राम डेहकवा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 18.3.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 654 निर्णय दिनांक 11.10.1977 वाके ग्राम डेहकवा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण के पिता राज्या पुत्र देव्या मीना के नाम से आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 29.6.1976 को वाके ग्राम डेहकवा स्थित साबिक कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व तत्कालीन पटवारी हल्का के पास आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 654 के कॉलम संख्या 11 मे राज्या के स्थान पर राध्या दर्ज कर दिया जिसके कारण आज तक अपीलान्टगण के नाम से विरासत का नामा0 दर्ज नही हुआ है। एवं अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी मे चली आ रही है। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को विवादग्रस्त नामा0 में हुई गलती की सर्वप्रथम जानकारी राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हुई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 दर्ज फैसल करने से पूर्व आवंटन आदेश में हो रहे इन्द्राज का अवलोकन नही किया इसलिए कॉलम संख्या 11 में हो रही त्रृटि की दुरूस्ती राध्या के स्थान पर राज्या करने हेतु माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 29.6.1976 के अनुसार राज्या पुत्र देव्या मीना की हद तक अपील स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 654 दिनांक 11.10.1977 के विरूद्व अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील मयाद बहार है। यह तर्क भी दिया कि वकील अपीलान्ट द्वारा राज्या पुत्र देव्या व राध्या पुत्र देव्या मीना एक ही व्यक्ति होना बताया गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह सिद्व होता हो कि राज्या पुत्र देव्या व राध्या पुत्र देव्या मीना एक ही व्यक्ति है। यह कथन भी किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा राज्या व राध्या पुत्र देव्या मीना एक ही व्यक्ति होने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश किया जावे तो आवंटन आदेश के अनुसार राज्या पुत्र देव्या मीना के नाम नामा0 तस्दीक किया जा सकता है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 654 दिनांक 11.10.1977 आवंटन आदेश दिनांक 29.6.1976 के आधार पर राज्य पुत्र देव्या मीना के नाम दर्ज फैसल किया जाना चाहिए था किन्तु आवंटन आदेश का अवलोकन किये बिना ही आवंटी राज्या के स्थान पर राध्या पुत्र देव्या मीना के नाम से नाम0 भरकर दर्ज फैसल कर दिया गया है। जो विधि सम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 654 दिनांक 11.10.1977 निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 654 दिनांक 11.10.1977 वाके ग्राम डेहकवा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन आदेश दिनांक 11.10.1977 के अनुसार आवंटी राज्या पुत्र देव्या के नाम से गैर खातेदारी का नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:11:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: